प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

दाण्डिक अपील सं 408/2019

निर्णय सुरक्षित किया गया : 18.08.2025

निर्णय पारित किया गया : 01.09.2025

1 – मुखलाल साव, पिता स्वर्गीय महावीर साव, 76 वर्ष, निवासी गाँव गडगोधी, पुलिस थाना त्रिकुंडा जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य,थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना त्रिकुंडा जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील सं 594/2019

1 – श्रवण कुमार, पिता राजेंद्र राम, 24 वर्ष, व्यवसाय श्रमिक, निवासी रामानुजगंज वार्ड संख्या 6, शुभस चंद्र बोश नगर, निवासी पिता रामानुजगंज, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

1– छत्तीसगढ़ राज्य,थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना त्रिकुंडा जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 654/2019

1 – अशोक पाल, पिता श्री भोला पाल, 53 वर्ष, स्थायी निवासी गाँव मध्यहूर, पुलिस थाना गढ़वा, जिला झारखंड, वर्तमान निवासी गाँव गढ़गोधी, पुलिस थाना त्रिकुंडा, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, पुलिस थाना त्रिकुंडा के द्वारा, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

––– उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 853/2019

1 – सुदामा भुइया, पिता स्वर्गीय पहल राम, 35 वर्ष, व्यवसाय, वाद्या, जाति भुइया, निवासी रामानुजगंज, निवासी–बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

–– अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा त्रिकुंडा, जिला–बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

–––– उत्तरवादी

दाण्डिक अपील सं 1418/2019

1 – सुनील पासवान, पिता महेंद्र पासवान, 35 वर्ष, निवासी रामानुजगंज वार्ड संख्या 3, रामानुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–––अपीलार्थी

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी के द्वारा त्रिकुंडा, जिला–बलरामपुर रामानुजगंज, छत्तीसगढ़

–––उत्तरवादी

अपीलकर्तागण हेतु :––श्री शक्ति राज सिन्हा अधिवक्ता, श्री नवनीत यादव अधिवक्ता, श्री वी. हेतु. पांडे अधिवक्ता और श्री संदीप यादव, अधिवक्ता

अपीलार्थियों हेतु :––अधिवक्तागण।उत्तरवादी/राज्य हेतु :श्री अजय पांडे, शासकिय अधिवक्ता

युगल पीठ:

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

तथा

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

सीएवी निर्णय

अमितेंद्र किशोर प्रसाद,न्यायाधीश के अनुसार,

1. चूंकि उपरोक्त सभी अपीलें एक ही दोषसिद्धि और दंड के आदेश से संबंधित हैं, इसलिए इनका विचारण एक साथ की जा रही है और इस सामान्य निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत दायर इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 83/2017 में दिनांक 22.02.2019 को पारित दोषसिद्धि और दंड के आदेश की वैधता, औचित्यता,वैधानिकता को चुनौती दी है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को निम्नलिखित रूप से दोषी ठहराया गया है और दंड पारित किया गया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मुखलाल साव, अशोक पाल तथा सुदामा भुइया नाम के अपीलार्थियों कि दोषसिद्धि	**दंड**
धारा 307 के तहत आजीवन कारावास तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.')	और प्रत्येक पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर प्रत्येक अपीलकर्ता को दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी के तहत	प्रत्येक अपीलकर्ता को आजीवन कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा; जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक अपीलकर्ता को दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

(दोनों दंड साथ–साथ चलने का निर्देश दिया गया)

अपीलार्थियों श्रवण कुमार और सुनील पासवान कि दोषसिद्धि	**दंड**
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत	प्रत्येक अपीलकर्ता को आजीवन कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा; जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक अपीलकर्ता को दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी के तहत	प्रत्येक अपीलकर्ता को आजीवन कारावास और 2,000

	रुपये का जुर्माना देना होगा; जुर्माना न भरने की स्थिति में प्रत्येक अपीलकर्ता को दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत	सात वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

(सभी दंड को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था)

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त प्रकरण यह है कि पीडब्लू संख्या 1 आनंद गुप्ता ने त्रिकुंडा पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज कराई कि 21.07.2017 की सुबह जब वह गांव बागरा स्थित अपनी दुकान में थे, तब उनके पिता कृष्ण गुप्ता (जिन्हें आगे 'मृतक' कहा गया है) बंखेता स्थित खेत जोतने गए थे। लगभग दोपहर 2 बजे, उनकी माता (पीडब्लू 2 ललती देवी, मृतक की पत्नी) ने उन्हें फोन पर सूचना दी कि जब वह खेत में गईं, तो उन्होंने किसी अज्ञात व्यक्ति को उनके पिता/मृतक पर हमला करते देखा और उस व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी और उनका सिर मिट्टी में दफना दिया।उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर, पीडब्लू 1 आनंद गुप्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपने पिता/मृतक को खेत में औंधे मुंह पड़ा पाया, उनका सिर जमीन में धंसा हुआ था और खून बह रहा था।छूने पर उन्होंने पाया कि उनके पिता/मृतक की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उनके चेहरे, नाक और पीठ पर चाकू के गहरे घाव थे।शोर मचाने पर ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। इस सूचना के आधार पर, पीडब्लू 8 विवेक कुमार लकड़ा, उप–निरीक्षक ने शिकायत संख्या 17/2017(एक्स. पी/1) दर्ज की और उप–मंडल मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया।इसके बाद, एफ. आई. आर. एक्स. पी/2 हेतु अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 303 के तहत अपराध संख्या 19/2017 के तहत दर्ज किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अन्वेषण के दौरान, घटनास्थल का नक्शा (एक्स पी/ 3) तैयार किया गया।मृत शरीर का पंचनामा कराने के लिए साक्षीयों को नोटिस (एक्स पी/ 5) जारी किया गया और साक्षीयों की उपस्थिति में पंचनामा (एक्स पी/ 6) तैयार किया गया था।पंचों की सलाह पर, सब–इंस्पेक्टर विवेक कुमार लकड़ा (पीडब्लू–8) ने पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी रामानुजगंज को अनुरोध पत्र (एक्स पी/27) भेजा।इसके बाद, पीडब्लू–7 डॉ. विजय राठौर ने पोस्टमार्टम किया और राय दी (एक्स पी/ 25) कि मृतक की मृत्यु का कारण आंतरिक रक्तस्राव था और मृत्यु का तरीका हत्या था।शव परीक्षण पश्चात् , शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया था।घटनास्थल से अन्वेषण अधिकारी ने लगभग 16 इंच लंबी लोहे की छड़ (तेज धार वाला हथियार), एक टूटा हुआ छाता, नीले रंग की हवाई चप्पल, खून से सना हुआ गमछा, सर्जिकल दस्ताने का एक फटा हुआ टुकड़ा, खून से सनी और सादी मिट्टी के दो नमूने और खून से सनी और सादी सूती कपड़े जब्त किए (जब्ती ज्ञापन, एक्स पी 10 देखें)।इसके बाद, साक्षीयों के बयान और घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया (एक्स पी 23)।इसके बाद, मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पता चला कि मृतक कृष्ण गुप्ता का

आरोपी मुखलाल साओ के साथ भूमि विवाद था और उस पर जादू–टोना करने का भी संदेह था। इसी संदेह के आधार पर, आरोपी मुखलाल साओ, श्रवण कुमार, अशोक पाल, सुनील पासवान और सुदामा भुइया को हिरासत में लिया गया और गवाहों की उपस्थिति में उनके ज्ञापन बयान (एक्स पी7, एक्स पी 8 और एक्स पी 9) दर्ज किए गए।इसके फलस्वरूप, आरोपी श्रवण कुमार से एक सर्जिकल दस्ताना बरामद किया गया (एक्स पी/ 12) और दस्तावेजों सहित एक काली हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल जब्त की गई (एक्स पी/ 13)।आरोपी सुनील पासवान से "रामपुर" लिखा हुआ एक चाकू (तांबे के रंग का, 15½ इंच लंबा) जब्त किया गया (एक्स पी/ 14), साथ ही खून से सना हुआ एक जींस पैंट और टी–शर्ट जब्त की गई (एक्स पी/15)। आरोपी सुदामा भुइया से दस्तावेजों सहित एक हीरो स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल, एक माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन, खून से सनी नीली और सफेद चेक वाली कमीज और काले रंग की फूलों वाली पैंट जब्त की गई (एक्स पी/16)।आरोपी अशोक पाल से गवाहों की उपस्थिति में एक लावा मोबाइल फोन जब्त किया गया (एक्स पी/ 11)।इसके बाद, अभियुक्तों को एक्स पी/ /17 से एक्स पी/ /21 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल से जब्त किए गए दस्ताने और अभियुक्त श्रवण कुमार को रासायनिक परीक्षण के लिए एफएसएल भेजा गया, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट (एक्स पी/–39) निर्णायक नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उचित अन्वेषण के बाद, अपीलकर्ताओं के खिलाफ संबंधित आपराधिक न्यायालय में आरोपपत्र दायर किया गया और मामले को विचारण और विधि के अनुसार निराकरण के लिए विचारण न्यायालय को सौंप दिया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और यह कहते हुए बचाव किया कि उन्होंने अपराध नहीं किए हैं।

6. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 9 साक्षीयों से परीक्षा की और 40 दस्तावेज (एक्स /पी–1 से एक्स पी/ –40) पेश किए।हालांकि, अपने बचाव के समर्थन में अपीलकर्ताओं ने किसी की भी परीक्षा नहीं की है, परंतु तीन दस्तावेज अर्थात एक्स डी–1 से एक्स डी –3 का प्रदर्शन परीक्षा है।

7. विचारण न्यायालय ने विचारण पूरा होने के बाद और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने के बाद, अपने निर्णय में, अपीलकर्ताओं को इस निर्णय के कंडिका–2 में बताए अनुसार दोषी ठहराया और दंड पारित किया गया ,जिसके विरुद्ध उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत ये अपीलें दायर की हैं।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को दिय गये दंड , विधि की दृष्टि से पूरी तरह से अस्थिर है, क्योंकि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला कमजोर और अविश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है।उनका यह भी तर्क है कि पीडब्लू–2 ललती देवी, जिन्हें चक्षु दर्शी साक्षी के रूप में पेश किया गया है, विश्वसनीय नहीं हैं, क्योंकि उनके बयान में महत्वपूर्ण हेरफेर किए गए हैं और उन्होंने आरोपियों की पहचान देर से की, वह भी तब जब उन्हें पुलिस अभिरक्षा में दिखाया गया था, जिससे उनके बयान पूरी तरह से संदिग्ध हो जाती है।उनका यह भी तर्क है कि कथित बरामदगी अविश्वसनीय

है, क्योंकि स्वतंत्र जब्ती साक्षीयों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है और एफएसएल रिपोर्ट निर्णायक नहीं है, रक्त समूह और डीएनए स्थापित नहीं किए गए हैं, न ही बरामद वस्तुओं से कोई उंगलियों के निशान लिए गए हैं जो अपीलकर्ताओं को संबंधित अपराध से जोड़ सकें।वे आगे यह तर्क देते है कि अभियोजन पक्ष उद्देश्य और षड्यंत्र को साबित करने में भी विफल रहा है, जो कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में महत्वपूर्ण तत्व हैं।वे यह भी तर्क देते है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षी के बयानों में मौजूद महत्वपूर्ण विरोधाभासों और चूक को नजरअंदाज करके गंभीर गलती की है, और ऐसी परिस्थितियों में, अपीलकर्ताओं पर लगाए गए दोषसिद्धि और दंड को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाए।

9. राज्य के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते है और यह प्रस्तुत करते है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपराध साबित कर दिया है और मामले को संदेह से परे सिद्ध कर दिया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को उपरोक्त अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाना और दंड देना उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथाऊपर की गई उनकी प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया तथा अभिलेख को भी अत्यंत सावधानी के साथ देखा।

11. पहला प्रश्न यह है कि क्या मृतक की मृत्यु हत्या थी, जिसका उत्तर विचारण न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स पी/ –25) के आधार पर सकारात्मक रूप से दिया है। यह रिपोर्ट डॉ. विजय कुमार राठौर (पीडब्लू–7) द्वारा प्रमाणित की गई है, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था और स्पष्ट रूप से बताया है कि मृतक की मृत्यु का कारण आंतरिक रक्तस्राव था और मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी।अतः, हमारा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने मृतक की मृत्यु को हत्या माना है, जो कि तथ्य का सही निष्कर्ष है, और हम विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।

12. अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अपीलकर्ता इस अपराध के दोषी हैं?

13. अब, हम प्रॉसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए साक्ष्य की एक–एक करके परीक्षा करेंगे। पीडब्लू–2 ललती देवी, जो मृतक कृष्ण गुप्ता की विधवा हैं, को प्रॉसिक्यूशन ने घटना की चक्षुदर्शी साक्षी के तौर पर पेश किया है।अपनी मुख्य परीक्षा में, उन्होंने बयान दिया है कि घटना दिनांक और समय पर, उन्होंने तीन अनजान लोगों को अपने पति पर चाकू मारते हुए देखा था।उन्होंने आगे कहा है कि वर्तमान आरोपी व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे और हमले के दौरान वहीं खड़े थे।उनके अनुसार, अपराध करने में कुल नौ लोग शामिल थे।उन्होंने यह भी बयान दिया है कि घटना के समय उन्होंने शोर मचाया था, लेकिन कथित तौर पर कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था।उन्होंने यह भी कहा है कि अपनी सुरक्षा के डर से, वह घटनास्थल से भाग गईं और बाद में उन्होंने अपने पुत्र आनंद (पीडब्लू–1) को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा।हालांकि, इसके विपरीत, प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि घटना के समय

वह तीनों अज्ञात हमलावरों को नहीं जानती थी।उसने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने और उसके सामने पेश किए जाने के बाद ही वह उन्हें पहचान पाई। पहचान में हुई इस देरी से उसके इस दावे की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं कि उसने वास्तव में हमले को देखा था।इसके अलावा, जब अदालत के समक्ष दिए गए उसके बयान और सीआरपीसी कि धारा 161 के तहत दिए गए उसके पहले के पुलिस बयान में मौजूद विसंगतियों के बारे में उससे पूछा गया, तो उसने स्वीकार किया कि यदि कुछ तथ्य उसके पुलिस बयान में दर्ज नहीं हैं, तो वह उनकी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण नहीं दे सकती है।इस स्वीकारोक्ति से उनके बयान का साक्ष्य मूल्य कमज़ोर हो जाता है और न्यायालय के समक्ष उनके बयान में सुधार या बढ़ा–चढ़ाकर बताने की आशंका पैदा होती है। उनके बयान में घटना को बढ़ा–चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, विशेष रूप से कई आरोपियों के नाम लेकर और बिना पुख्ता साक्ष्य के विशिष्ट भूमिकाओं को जिम्मेदार ठहराते हुए। उनके कथन की प्रकृति से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अधिक से अधिक व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास कर रही थीं, जिनमें से कुछ को वे स्वयं उनकी गिरफ्तारी के बाद तक पहचान भी नहीं पाई थीं। पीडब्लू 2 ललती देवी ने इन महत्वपूर्ण विसंगतियों के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया है।कई अभियुक्त व्यक्तियों को उनके स्पष्ट कृत्यों को स्पष्टता के साथ स्थापित किए बिना फंसाने की उनकी प्रवृत्ति, तथा अन्य स्वतंत्र साक्षीयों से पुष्टि की अनुपस्थिति, उनकी गवाही को अविश्वसनीय तथा दोषसिद्धि हेतु एकमात्र आधार बनाने हेतु अपर्याप्त बनाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मृतक के पुत्र पीडब्लू–1 आनंद ने अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि उन्हें हमले के बारे में एक फोन आया तथा घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें अपने पिता का क्षत–विक्षत शव मिला।हालाँकि उसने अपने चाचा तथा अन्य लोगों को एक षड़यंत्र में फंसाया, परंतु उसके बयान सुनी–सुनाई बातों पर आधारित है तथा उसने स्वीकार किया कि वह व्यक्तिगत रूप से तथ्यों को नहीं जानता था, दूसरों की जानकारी पर भरोसा करता था, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

15. पीडब्लू–3 मृतक कृष्ण गुप्ता के एक अन्य बेटे गोविंद गुप्ता से अभियोजन पक्ष ने सहायक साक्षी के रूप में परीक्षा कि है।हालाँकि, उसके बयान की जांच से पता चलता है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, और उसका पूरा बयान अनुश्रुत बातों पर आधारित है।उसने यह भी स्वीकार किया कि उसे आरोपियों द्वारा रची गई किसी भी षड़यंत्र की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

16. पीडब्लू–4 बीरेंद्र सिंह से भी अभियोजन पक्ष ने परीक्षा की है, हालांकि, उसके बयान से स्पष्ट है कि वह अनुश्रुत तथ्यों पर आधारित साक्षी है, न कि घटना का प्रत्यक्षदर्शी।उसके बयान में घटना की कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं मिलती है, न ही इसमें आरोपियों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाला कोई ठोस या सहायक साक्ष्य मिलता है।

17. अतः, उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुख्य साक्षी , जो स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी बता रही है – पीडब्लू 2 ललती देवी, मृतक की विधवा – घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।अन्य साक्षीयों ने बताया कि वे घटना घटित होने के बाद घटनास्थल पर पहुँचे थे।अतः, अपराध घटित होने के संबंध में किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है।इसके अलावा, तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी साक्ष्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट नहीं है तथा विरोधाभासों तथा सुनी–सुनाई बातों से भरी हुई है।साक्ष्य से पता चलता है कि परिवार के सदस्यों मध्य , विशेष रूप से भाइयों मध्य एक भूमि विवाद मौजूद है, जिसने शिकायतकर्ता तथा अन्य करीबी रिश्तेदारों को आरोपी व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, जो परिवादी के परिवार के चाचा होते हैं।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि पीडब्लू 2 ललती देवी, भले ही प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रही हैं, लेकिन वास्तव में वे सुनी–सुनाई बातों पर ही कथन कर रही हैं और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने हमले को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था।यह इस तथ्य को पुष्ट करता है कि अभियोजन पक्ष का मामला विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पर आधारित नहीं है।एफआईआर (एक्स पी/ –2), मर्ग (एक्स पी/ –1) और जांच रिपोर्ट (एक्स पी/–6) में हमलावरों की स्पष्ट पहचान का अभाव अभियोजन पक्ष के मामले को और भी कमजोर कर देता है।यदि वास्तव में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी होता, तो यह उम्मीद करना उचित होता कि एफआईआर या अन्य प्रारंभिक अभिलेखों में आरोपियों के नाम स्पष्ट रूप से दर्ज होते, जो इस मामले में स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है।इन कारकों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष के मामले में अपीलकर्ताओं को अपराध करने से जोड़ने वाले विश्वसनीय और पुख्ता साक्ष्य की कमी से ग्रस्त है।इसके अलावा, उपरोक्त गवाहों में से किसी ने भी अपने बयानों में यह नहीं कहा है कि घटना वाले दिन उन्होंने मृतक को आरोपी व्यक्तियों के साथ देखा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहां तक मृतक को खत्म करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा साजिश रचने के आरोप का सवाल है, अभियोजन पक्ष इस दावे को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय या प्रत्यक्ष सबूत पेश करने में विफल रहा है।अभिलेख में मौजूद सामग्री से अभियुक्तों द्वारा किए गए किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य या ठोस कदम का पता नहीं चलता है जिससे अपराध करने के लिए किसी सामान्य आशय या षड्यंत्र का प्रमाण मिलता हो। ।साक्ष्यो से यह प्रतीत होता है कि मृतक और उसके भाई पैतृक भूमि के अपने–अपने हिस्से पर कृषि कार्य में लगे हुए थेहालाँकि ,भूमि का औपचारिक विभाजन नहीं हुआ था, प्रत्येक पक्ष स्वतंत्र रूप से अपने–अपने हिस्से की खेती और उस पर कब्ज़ा कर रहा था।यह परिस्थिति अपने आप में कथित अपराध के लिए निर्णायक उद्देश्य प्रदान नहीं करती है।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष किसी भी दुर्भावना या वैमनस्य या उद्देश्य को संतोषजनक ढंग से स्थापित करने में विफल रहा है, जिससे अभियुक्तों को इतना गंभीर अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ।

19. अगली दोषी ठहराने वाली परिस्थिति अभियुक्तों के कब्जे से कुछ वस्तुओं की बरामदगी है। हालांकि अपीलार्थियों के ज्ञापन बयानों के अनुसार, सर्जिकल दस्ताने का एक टुकड़ा, खून जैसा दागदार चाकू, कपड़े, बाइक तथा मोबाइल फोन जब्त किए गए थे, हालांकि, केवल सर्जिकल दस्ताने रासायनिक परिक्षण हेतु

एफएसएल को भेजे गए थे तथा एफएसएल रिपोर्ट भी अनिर्णायक है तथा यह दिखाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि जब्त की गई वस्तुओं पर पाया गया उक्त रक्त समूह मृतक के रक्त के समान है।इसलिए, उपरोक्त वस्तुओं की केवल वसूली, उन्हें सीधे अपराध या मृतक से जोड़ने वाले किसी भी प्रमाण के बिना, अपराध स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है।इसके अलावा, नरेश राम नामक अपीलार्थियों की जब्ती तथा ज्ञापन के साक्षी से भी अभियोजन पक्ष द्वारा उन कारणों हेतु पूछताछ नहीं परीक्षा है जो उसे सबसे अच्छी तरह से पता हैं।इसके अलावा, पीडब्लू–6 सतीश कुमार को जब्ती ज्ञापन (एक्स पी/ –10) के साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया है।हालाँकि, उसके साक्ष्य की परिक्षण करने पर, यह स्पष्ट है कि वह एक अनुश्रुत साक्षी है तथा घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।विचारण के दौरान, पीडब्लू–6 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया तथा उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था।उसके कथन अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति को स्थापित करने में विफल रहती है।इसके अलावा, एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के दावे का समर्थन नहीं करती है।इन बरामदगी के माध्यम से अपीलार्थियों को अपराध स्थल या मृतक से जोड़ने वाला कोई निर्णायक फोरेंसिक साक्ष्य नहीं है।

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में (2024) 3 एससीसी 481 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ हद तक सहायक होने वाली एकमात्र परिस्थिति वर्तमान अपीलकर्ता के कहने पर खंजर की बरामदगी है।हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उक्त बरामदगी भी एक खुले स्थान से हुई है जहाँ सभी की पहुँच है।किसी भी स्थिति में, खंजर पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त समूह से मेल नहीं खाता है।मुस्तकीम बनाम राजस्थान राज्य में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि रक्तरंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती है जब तक कि यह अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या से जुड़ा न हो।इस प्रकार, हम पाते हैं कि केवल रक्तरंजित हथियार की बरामदगी की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया है।"

21. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ठाकुर उमेदसिंह नाथुसिंग बनाम गुजरात राज्य के मामले में (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 320 में प्रकाशित) बरामदगी और मृतक के रक्त के धब्बे न पाए जाने के संबंध में विचार किया है और सुसंगत कंडिका इस प्रकार है:–––

"35. हमने बरामदगी से जुड़े संबंधित पुलिस अधिकारियों के साक्ष्यों का अध्ययन किया है और उनके कथन को अत्यधिक संदिग्ध पाया है।ए 3 की निशानदेही पर बरामद किया गया चाकू एक नाले से मिला था जो सभी के लिए खुला और सुलभ स्थान है।ए 4 को दिया गया चाकू कांजी छारा की पत्नी शोभनाबेन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसलिए इसे ए 4 से नहीं जोड़ा जा सकता है।इस प्रकार, इन बरामदगी को किसी भी तरह से अपराध सिद्ध करने वाला नहीं माना जा सकता है।मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य के मामले

में, जिसका उल्लेख (2011) 11 एससीसी 724 में किया गया है, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रक्त से सने हथियारों की बरामदगी मात्र एक ऐसा साक्ष्य नहीं हो सकता है जिसे किसी आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त माना जा सके।इसलिए हम बरामदगी को अत्यधिक संदिग्ध और दूषित पाते हैं।यदि एक क्षण के लिए भी मान लिया जाए कि ऐसी बरामदगी की गई थी, तो भी इससे सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के रूप में कोई निर्णायक परिस्थिति नहीं बनती जिससे मृतक के रक्त समूह के समान रक्त समूह की उपस्थिति स्थापित हो सके, और इसलिए यह अभियोजन पक्ष के आधार को आगे नहीं बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष मुद्दामल वस्तुओं की सुरक्षित रखवाली के तथ्य को स्थापित करने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है, और इसलिए बरामदगी असंगत हो जाती है।"

22. देबाप्रिया पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में,(2017) 11 एससीसी 31 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद्यक परनिर्णय दिया है कि भले ही रक्त का धब्बा पाया गया हो, आरोपी या मृतक के रक्त समूह का पता नहीं लगाया जा सकता है।संबंधित सुसंगत कंडिका इस प्रकार है:---

"बहस के लिए, हम यह मान रहे हैं कि वे उस समय मौजूद थे जब अपीलकर्ता अपने घर से खून से सने कपड़े लाया और उन्हें पुलिस को सौंप दिया।महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलकर्ता के दोष सिद्ध करने के लिए इन्हीं खून से सने कपड़ों पर भरोसा किया गया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन खून से सने कपड़ों पर मौजूद रक्त समूह उस चादर पर मौजूद खून से मेल खाता है जिस पर मृतकों में से एक का शव मिला था।"अभिलेख से पता चलता है कि हालांकि दोनों मृतकों का रक्त नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट क्या आई और मृतकों का ब्लड ग्रुप क्या था, इसकी जानकारी नहीं है।ऐसी कोई रक्त रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।इतना ही नहीं, आरोपियों का ब्लड ग्रुप भी ज्ञात नहीं किया गया है।यदि हम यह मान भी लें कि चादर पर लगा रक्त मृतक का ही था, तो भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह रक्त समूह अपीलकर्ता–आरोपी के रक्त समूह के समान ही हो।इसलिए, खून से सने कपड़ों पर रक्त समूह का मिलान मात्र से, जो कि बिस्तर की चादर पर भी था, यह निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि यह अपीलकर्ता ही था जिसने अपराध किया था।"

23. शांताबाई और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में,(2008) 16 एससीसी 354 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:---

"25. पाँचवीं परिस्थिति के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने डॉ. हनुमंत से पूछताछ की, जिन्होंने 15–8–1993 को मृतक गुणवंत के शव का पोस्टमार्टम किया था।चिकित्सक ने मृतक के शरीर पर तेरह चोटों के निशान देखे, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (एक्स टी 41) में वर्णित है। चिकित्सक की राय के अनुसार, मृत्यु का कारण मस्तिष्क में चोट और मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण हृदय–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्वसन विफलता के कारण सदमे के कारण हुआ था।रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट से पता चलते है कि मृतक के विसरा में एथिल अल्कोहल पाया गया था।

26. हम यह इंगित कर सकते हैं कि विवेचना अधिकारी ने वस्तुओं की जब्ती के समय, कथित अपराध के हथियार, पत्थरों और कुल्हाड़ी पर दिखाई देने वाले अंगुलियों के निशानों को एकत्र करने की परवाह नहीं की है और न ही उन्होंने कथित अपराध के हथियारों पर पाए गए अंगुलियों के निशानों, यदि कोई हों, के साथ तुलना करने के लिए अपीलकर्ताओं के अंगुलियों के निशान लिए हैं।अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से एकत्र की गई वस्तुएँ खुले स्थान पर पड़ी मिलीं, जहाँ सभी की पहुँच थी। अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि कुल्हाड़ी, जो कथित अपराध का हथियार था, खुले स्थान पर मौके पर मिली, ए–1, ए–2 और ए–3 की थी।इस प्रकार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि ए–1, ए–2 और ए–3 ने अपराध करने में बरामद हथियारों का इस्तेमाल किया था।

28. रासायनिक विश्लेषक की रिपोर्ट (प्रस्तुति 72) से पता चलता है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए कपड़ों पर, जो कथित तौर पर अपीलकर्ताओं के थे, ग्रुप 'बी' का मानव रक्त पाया गया था। उन कपड़ों पर पाया गया रक्त समूह मृतक के कपड़ों और जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल से लिए गए मिट्टी, कुल्हाड़ी, पत्थर, हैंडल आदि के नमूनों पर पाए गए ग्रुप 'ओ' के रक्त से मेल नहीं खाता था।अन्वेषण अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह ए–1 और पंच साक्षीयो के साथ अपीलकर्ताओं के कपड़ों की तलाश में गए थे, तो अपीलकर्ताओं के घर के दरवाजे का ताला पुलिस पाटिल के पास रखा था, जिसे बाद में उन्होंने ही खोला था।इस दृष्टिकोण से, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि ए–1 के कहने पर पुलिस द्वारा कथित रूप से जब्त किए गए और खुले स्थान पर पड़े कपड़ों पर मृतक के कपड़ों और जाँच अधिकारी द्वारा घटनास्थल से जब्त की गई वस्तुओं पर पाए गए मृतक के रक्त समूह 'ओ' के धब्बे थे। अभियोजन पक्ष द्वारा ए–1, ए–2 और ए–3 को अपराध का दोषी ठहराने के लिए ठोस, संतोषजनक और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के बावजूद ये परिस्थितियां साबित नहीं हो पाईं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धनंजयशंकर शेट्टी बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में (2002) 6 एससीसी 596 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"9. अपीलकर्ता के खिलाफ एक और आरोप यह लगाया गया था कि उसके घर से खून से सने कपड़े और हथियार बरामद किए गए थे, लेकिन विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने इस बात पर कोई भरोसा नहीं किया था क्योंकि रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, उन पर पाया गया ब्लड ग्रुप मृतक के ब्लड ग्रुप से मेल नहीं खाता था।"

25. इसी प्रकार, गणेश बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में,(2023) 7 एससीसी 145 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि फोरेंसिक साक्ष्य (जैसे

एफएसएल रिपोर्ट) निर्णायक नहीं है और परिस्थितियों की कड़ी टूटी हुई या संदिग्ध है, तो दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

26. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि यद्यपि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के कहने पर कथित रूप से बरामद रक्त–रंजित वस्तुएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन यह स्थापित करने के लिए फोरेंसिक साक्ष्य का पूर्ण अभाव है कि इन वस्तुओं पर पाया गया रक्त मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है।इस तरह के संबंध को स्थापित करने के लिए कोई सीरोलॉजिकल या डीएनए रिपोर्ट रिकॉर्ड में प्रस्तुत नहीं की गई है।मृतक के रक्त के होने का कोई प्रमाण न होने पर, केवल रक्त के धब्बे मौजूद होने मात्र से ही बरामदगी का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हनुमान (उपरोक्त) मामले में, राजा नायकर (उपरोक्त) मामले में दिए गए अपने ही निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि केवल खून से सना हथियार बरामद होना, भले ही उस पर पीड़ित के समान रक्त समूह हो, हत्या के आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

28. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि इस प्रकार की विफलता कथित बरामदगी के साक्ष्य मूल्य को काफी हद तक प्रभावित करती है। कंसा बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1987) 3 एससीसी 480 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

"जब तक कपड़ों या हथियारों पर पाए गए खून के धब्बे मृतक के साबित नहीं हो जाते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि ये खोज आरोपी को संदेह से परे दोषी ठहराती है।""

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इसी तरह, (2008) 3 एस. सी. सी. 210 में रिपोर्ट किए गए सत्ततीय @सतीश राजन्ना कर्तल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य में, यह देखा गया थाः

"सीरोलॉजिकल रिपोर्ट के अभाव में, जो यह पुष्टि करती हो कि कपड़े या हथियार पर लगा खून मृतक का था, इस बरामदगी से अभियोजन पक्ष को कोई विशेष मदद नहीं मिलती है।"

30. विजय शंकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में, जिसका उल्लेख(2022) 10 एससीसी 353 में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से दोहराया:

"अभियोजन पक्ष द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से यह साबित करने में विफलता कि हथियार या कपड़ों पर मिला रक्त मृतक के रक्त से मेल खाता है, बरामदगी की सत्यता और आरोपी के अपराध के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है।"

31. इन आधिकारिक निर्णयों से यह स्पष्ट हो जाता है किवैज्ञानिक पुष्टि के बिना केवल रक्त से सने सामान की बरामदगी किसी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है, विशेषकर तब जब मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो।आपराधिक न्यायशास्त्र का यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को ठोस

और विश्वसनीय साक्ष्यों के साथ परिस्थितियों की कड़ी स्थापित करनी चाहिए, विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामलों में।

32. यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा शरद बिरधीचंद सरदा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में (1984) 4 एससीसी 116 में प्रतिपादित निम्नलिखित पाँच स्वर्णिम सिद्धांतों पर ध्यान देना उपयोगी होगा, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले के 'पंचशील' का निर्माण करते हैं और इस प्रकार हैं:

"153.....(1) जिन परिस्थितियों से दोष सिद्ध करने का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूरी तरह से सिद्ध होनी चाहिए।यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया है कि संबंधित परिस्थितियाँ 'सिद्ध होनी ही चाहिए' न कि 'सिद्ध हो सकती हैं'।'सिद्ध हो सकती हैं' और 'सिद्ध होनी ही चाहिए' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर भी है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी सहबराव बोबाडे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1973) 2 एससीसी 793 में कहा था, जहाँ निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई थीं:"निःसंदेह, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी का दोषी होना अनिवार्य है, न कि केवल दोषी होने की संभावना। 'हो सकता है' और 'अनिवार्य रूप से दोषी है' के बीच मानसिक अंतर बहुत अधिक है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल आरोपी के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात्... वे इस परिकल्पना के अलावा किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्ट नहीं होने चाहिए कि आरोपी दोषी है। (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

(4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अलावा हर संभव परिकल्पना को खारिज कर देना चाहिए। तथा

(5) साक्ष्यों की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जिससे आरोपी की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न बचे और यह दर्शाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा।"

33. वर्तमान मामले में, यद्यपि अपीलकर्ताओं के ज्ञापन कथनों के आधार पर कुछ वस्तुएँ जब्त की गईं, परन्तु यह सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि इन वस्तुओं का प्रयोग अपराध करने में किया गया था या ये वस्तुएँ मृतक या अपीलकर्ताओं के कब्जे में अंतिम बार इस प्रकार देखी गई थीं जिससे अपीलकर्ताओं को सीधे अपराध से जोड़ा जा सके। साथ ही, यह सिद्ध करने के लिए कोई विश्वसनीय फोरेंसिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जब्त की गई वस्तुओं पर लगा रक्त मृतक का था।यहाँ यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मृतक के परिवार के किसी भी सदस्य ने इस घटना के संबंध में अपीलकर्ता मुखलाल साओ पर किसी भी कृत्य, चूक या संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया है।न तो परिवादी और न ही अभियोजन पक्ष के किसी गवाह ने आरोपी मुखलाल साओ को कथित अपराध में संलिप्त करने वाला कोई बयान दिया है।उसके खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अभाव से उसकी संलिप्तता पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियोजन पक्ष जब्त की गई वस्तुओं का कथित अपराध से संबंध या प्रासंगिकता साबित करने के लिए परिस्थितियों की कड़ी स्थापित करने में विफल रहा है।

34. आपराधिक कानून का यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता है।अभियोजन पक्ष का पूरा मामला कमजोर परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, और आरोपी के अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों की कड़ी भी स्थापित नहीं की गई है।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (1984) मामले में, जो AIR 2013 SC 3817 में प्रकाशित हुआ है, यह भी कहा है किसंदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता और केवल संदेह के आधार पर दोषसिद्धि अनुमेय नहीं है।यह कंडिका 6 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–––

"6.संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता, और जो बात सिद्ध हो सकती है और जो सिद्ध होगी, उनमें बहुत बड़ा अंतर है।किसी दाण्डिक विचारण में,, संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता और न ही लिया जाना चाहिए।इसका कारण यह है कि "संभवतः" और "निश्चिततः" के बीच मानसिक दूरी काफी अधिक होती है और यह अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।आपराधिक मामले में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह कानूनी प्रमाण का स्थान न ले लें।"संभवतः" सत्य और "निश्चिततः" सत्य के बीच की इस बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और निर्विवाद साक्ष्यों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए, इससे पहले कि किसी आरोपी को दोषी ठहराया जाए, और बुनियादी और स्वर्णिम नियम का पालन किया जाना चाहिए।ऐसे मामलों में, "संभवतः" सत्य और "निश्चिततः" सत्य के बीच की दूरी को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय को निष्पक्ष न्यायिक जांच के आधार पर मात्र अनुमानों और निश्चित निष्कर्षों के बीच महत्वपूर्ण अंतर बनाए रखना चाहिए, जो मामले की सभी विशेषताओं के साथ–साथ रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के पूर्ण और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित हो।न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्याय का उल्लंघन न हो, और यदि किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, यह ध्यान में रखते हुए कि उचित संदेह कोई काल्पनिक, तुच्छ या मात्र संभावित संदेह नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष संदेह है जो तर्क और सामान्य ज्ञान पर आधारित है।(देखें हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1952) 2 एससीसी 71, राज्य बनाम महेंद्र सिंह दहिया (2011) 3 एससीसी 109 और रमेश हरिजन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 5 एससीसी 777)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. इसके अलावा, कन्हैया लाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जो (2019) 5 एससीसी 639 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी है कि केवल हथियारों या कपड़ों जैसी वस्तुओं की बरामदगी, डीएनए, उंगलियों के निशान या निर्णायक एफएसएल के माध्यम से अपराध से उन्हें जोड़े बिना, दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

37. इसी प्रकार, राजस्थान राज्य बनाम काशी राम के मामले में,जो (2006) 12 एससीसी 254 में रिपोर्ट किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, वहां उद्देश्य का बहुत महत्व होता है और उद्देश्य का अभाव आरोपी के पक्ष में एक मजबूत परिस्थिति है।

38. इसी प्रकार, सेल्वराज बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में,(2015) 10 एससीसी 230 में रिपोर्ट किए गए मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह राय दी है कि जहां अभियुक्तों की पहचान पुलिस हिरासत में उन्हें देखने के बाद विलंबित पहचान पर आधारित है, ऐसी पहचान तब तक विश्वसनीय नहीं है जब तक कि उचित पहचान परेड (टीआईपी) के माध्यम से न की गई हो।वर्तमान मामले में, पी डब्लू–2 ललती देवी ने अभियुक्तों की पहचान तभी की जब उन्हें हिरासत में दिखाया गया, कोई टीआईपी आयोजित नहीं की गई थी।इससे पहचान अस्वीकार्य हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

39. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने रामकेशरा @रामेश्वर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के मामले पर विचार किया है, जो 2008(3) सी.जी.एल.जे. 86 (डीबी) में प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह राय व्यक्त की गई थी कि एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी का बयान विरोधाभासों और चूक से भरा था और मृतक के मौखिक मृत्यु पूर्व बयान के संबंध में गवाहों के बयान भी विरोधाभासी थे, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया गया।उक्त मामले में, राजस्थान राज्य बनाम मैग्नी राम (2001) 9 एससीसी 589 और राज पाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2007 क्रिमिनल लॉ जज 2926) के मामलों उल्लेख किया गया, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चिकित्सा साक्ष्य से असंगत प्रत्यक्षदर्शियों के कथन और उनका अप्राकृतिक आचरण अभियोजन पक्ष के मामले पर उचित संदेह पैदा करता है।साथ ही, नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007 एआईआर एससीडब्ल्यू)1835 के मामले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि मृतक या अपराध के पीड़ित के रिश्तेदार साक्षी को 'हितबद्ध' नहीं माना जा सकता है।'हितबद्ध' शब्द का अर्थ है कि साक्षी का किसी न किसी प्रकार से द्वेष या किसी अन्य कुटिल उद्देश्य से आरोपी को दोषी ठहराने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' हो।सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि किसी करीबी संबंधी को 'हितबद्ध' साक्षी नहीं माना जा सकता है।वह एक 'स्वाभाविक' साक्षी है।हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए।यदि ऐसी गहन जांच में, उसका साक्ष्य स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय, स्वाभाविक रूप से संभावित और पूरी तरह से भरोसेमंद पाया जाता है, तो ऐसे साक्षी की 'एकमात्र' बयान के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार आमतौर पर असली अपराधी को बख्शने और किसी निर्दोष को झूठा फंसाने के लिए अत्यंत अनिच्छुक होगा।सर्वोच्च

न्यायालय ने हरबंस कौर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य 2005 AIR SCW 2074 के मामले में दिए गए निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है , जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विधि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को झूठा साक्षी माना जाए।इसके विपरीत, पक्षपात का आरोप लगाते समय यह साबित करना आवश्यक है कि साक्षीयों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और आरोपी को झूठा फंसाने का कारण था।

40. उपरोक्त विधिक दृष्टांत, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधियो और मामले के तथ्यों को देखते हुए, बरामद वस्तुओं और मृतक के बीच फोरेंसिक संबंध स्थापित करने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को गंभीर रूप से कमजोर करती है।केवल अप्रमाणित बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इस बात का कोई पुख्ता और निर्णायक साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलकर्ताओं की संबंधित अपराध में संलिप्तता साबित हो सके।अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।अतः, इस न्यायालय की राय में, विचारण न्यायालय ने विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य के बिना अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने में त्रुटि की है।परिस्थितियों की श्रृंखला टूटी हुई और अपूर्ण है, इसलिए अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. तदनुसार, संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें स्वीकार की जाती हैं और दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंड का आदेश अपास्त किया जाता है।अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

42. अपीलकर्ता के जमानत पर होने की सूचना है।सी आर.पी.सी. की धारा 437– ए के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष सीआरपीसी में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000 रुपये की राशि का व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि का एक–एक ज़मानतदार तुरंत प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। साथ ही, उन्हें यह वचन देना होगा कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में, उपर्युक्त अपीलकर्ता इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

43. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय के अभिलेख कि सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल प्रेषित करे।

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

हेड–नोट:

"एक हितबद्ध साक्षी , जैसे कि परिवार के सदस्य की विश्वसनीयता को केवल उनके संबंधों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, उनके बयान की बहुत सावधानी तथा सतर्कता के साथ जांच की जानी चाहिए।यदि यह अविश्वसनीय पाया जाता है, तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur